स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी)

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी), दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2016 से एक उप–योजना के रूप में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को गरीबी से बाहर निकालना, उनकी उद्यम स्थापना में मदद करना और उद्यमों के स्थिर होने तक सहायता उपलब्ध कराना है। एसवीईपी उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता और व्यवसाय प्रबंधन में प्रशिक्षण और स्थानीय सामुदायिक कैडर बनाते समय स्वरोज़गार अवसरों को उपलबध कराने पर ध्यान केंद्रित करता है।

एसवीईपी ग्रामीण स्टार्टअप्स की तीन प्रमुख समस्याओं–वित्त, इन्क्यूबेशन और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का निवारण करता है। एसवीईपी के तहत गतिविधियों को रणनीतिक रूप से तैयार किया गया है, ताकि ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा दिया जा सके। इसका एक प्रमुख क्षेत्र समुदाय संसाधन व्यक्तियों–उद्यम संवर्धन (सीआरपी–ईपी) को विकसित करना है, जो स्थानीय है और ग्रामीण उद्यमों की स्थापना करने में ग्रामीण उद्यमियों की मदद करता है। एक अन्य प्रमुख क्षेत्र एसवीईपी ब्लॉकों में ब्लॉक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) को बढ़ावा देना है।

कार्यान्वयन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान, एसवीईपी ने संस्थान संरचनाओं को स्थापित करने, मज़बूत बनाने के लिए ग्रामीण समुदायों को प्रेरित करने, बीआरसी सदस्यों के लिए व्यवसाय प्रबंधन पहलुओं पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर निवेश करने, सीआरपी–ईपीएस का पूल बनाने और उन्हें गहन प्रशिक्षण देने, उद्यमियों को अपने मौजूदा उद्यमों को आगे बढ़ाने में सहायता करने के साथ–साथ नए उद्यमों की स्थापना पर भी ध्यान केन्द्रित किया है।

इन वर्षों में एसवीईपी ने प्रभावशाली प्रगति की और अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के 153 ब्लॉकों में व्यवसाय सहायता सेवाओं और पूंजी प्रेरित करने के बारे में सहायता प्रदान की। अगस्त 2020 के आंकड़ों के अनुसार सामुदायिक संसाधन व्यक्ति–उद्यम संवर्धन (सीआरपी–ईपी) लगभग 2000 प्रशिक्षित कैडर ग्रामीण उद्यमियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है।, लगभग एक लाख उद्यमी उनसे सहायता प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई), अहमदाबाद एसईवीपी का तकनीकी सहयोगी है।

एसवीईपी में बाज़ार की महत्वपूर्ण भूमिका

पूरे ग्रामीण भारत में स्थानीय मार्किट/हाट/सप्ताह में एक या दो बार संचालित होता है। यह बाज़ार एक आर्थिक मंच के रूप में कार्य करता है, जहां कृषि उत्पाद, अनाज, सब्जियां, फल, जड़ी–बूटी, कुक्कुट तथा आवश्यक वस्तुएं जैसे किराने का सामान, फैंसी आइटम, कपड़े, बर्तन, जूते, मसाले आदि का कारोबार किया जाता है। एक विशिष्ट ग्रामीण हाट ज़्यादातर स्वदेशी, लचीला और बहुस्तरीय संरचना है जो विभिन्न प्रकृति की आर्थिक गतिविधियों को समायोजित करता है। इन स्थानीय बाज़ारों की स्थापना ने एसवीईपी उद्यमियों को मांग आधारित उत्पादन लेने, अपने उद्यम का प्रचार करने और आय के अवसरों को बढ़ाने के बारे में प्रेरित किया है।

गया जिसमें एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को शामिल कर लिया गया है।

2021 के पहले दस महीनों के दौरान कुल 17,232 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है, जिनमें से 16,344 जीपी ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए और 888 जीपी सेटेलाइट मीडिया के जरिए जोड़े गए हैं। पहली नवम्बर 2021 की स्थिति के अनुसार, भारतनेट चरण–द्वितीय के तहत जोड़ी जाने वाली शेष ग्राम पंचायतों में से कुल 1,79,247 ग्राम पंचायतों को 5,52,514 किमी. ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाकर जोड़ा जा चुका हैं, जिनमें से 1,61,870 ग्राम पंचायत सेवा के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, 4218 ग्राम पंचायतों को उपग्रह के माध्यम से जोड़ा गया है जिससे कुल सेवा के लिए तैयार जीपी की संख्या 1,66,088 हो गई है।

15 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार भारतनेट का दायरा अब देश के सभी गांवों तक बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2021 को सरकार ने देश के 16 राज्यों के लगभग 3.61 लाख गांवों (1.37 लाख ग्राम पंचायतों सहित) को शामिल करते हुए सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से भारतनेट के कार्यान्वयन के लिए एक संशोधित रणनीति को मंज़ूरी दी।

ई–कॉमर्स

दूरसंचार के जरिए ग्रामीण उद्यमियों को जहां दूर–दूर तक ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी, वहीं इसका इस्तेमाल कर ई–कॉमर्स वेबसाइट की बदौलत देश–दुनिया की सीमा लांघी जा सकेगी। शायद कुछ इसी सोच के साथ बीते नवम्बर में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जानी–मानी ई–कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत निजी उद्यम की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में अहम भूमिका होगी।

दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) कार्यक्रम के तहत खासतौर से महिलाओं की अगुवाई में चल रहे स्थानीय कारोबार व स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने और उनको ई–कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर हुए। यह साझेदारी डीएवाई–एनआरएलएम के स्वरोज़गार और उद्यमिता के लिए